

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई )/अलेसे III/निप लिंक न . 10659 / 612

दिनांक :- 23/03/2018

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री नीतिका खण्डेलवाल [लिंक न . 10659] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अजमेर - [20184] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 05/02/2018 से 23/02/2018 तक 19 दिवस

कुल 19 दिवस

उक्त कुल 19 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री नीतिका खण्डेलवाल की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई )/अलेसे III/निप लिंक न . 10659 / 612

दिनांक :- 23/03/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अजमेर
2. कोषाधिकारी अजमेर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री नीतिका खण्डेलवाल [10659] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अजमेर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)